

बिहार विधान सभा के लिए निवेदन

<p>श्री बृज किशोर सिंह, सं०वि०स० से दि०-20.07.2011 को प्राप्त निवेदन सं०-496/11 के संबंध में</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>निवेदन</p>	<p>उत्तर</p>
<p>मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखण्ड के बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के 1600, वरियारपुर दक्षिणी पंचायत में 241, वरियारपुर उत्तरी के 561 और वरियारपुर पूर्वी के 150 अर्थात् चारों पंचायतों के करीब 2500 विस्थापित परिवार जो बूढ़ी गंडक नदी के कारण से पीड़ित हैं। इन 2500 विस्थापित परिवारों को शीघ्र पुनर्स्थापित कराते हुए पुनर्वास की व्यवस्था की जाय। इस संबंध में शिथिलता बरते गए पदाधिकारी पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि विस्थापित 299 परिवारों (अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार) में से 71 परिवारों को बिहार सरकार की गैरमजरूआ खास की भूमि में बन्दोबस्ती का पर्चा उपलब्ध करा दिया गया है। विस्थापित 90 परिवार मोतीपुर स्थित चीनी मिल की जमीन में घर बनाकर विगत 10 वर्षों से रह रहे हैं। ये सभी 90 परिवार अन्यत्र कहीं नहीं बसना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 138 परिवारों जिनके लिए वरियारपुर ग्राम स्थित बिहार सरकार गैरमजरूआ आम भूमि के बन्दोबस्ती का प्रस्ताव स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है, में से 50 परिवार बरियारपुर गाँव में गैरमजरूआ आम भूमि पर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्मित भवन में रह रहे हैं, किन्तु उनके पास आवंटन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। 23 परिवार इन्दिरा आवास के तहत मकान बनाये हुए हैं और उसमें रह रहे हैं। शेष 65 परिवार भी बिहार सरकार गैरमजरूआ आम भूमि में बसे हुए हैं। वर्तमान में एक भी परिवार छत विहीन नहीं है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०प०नि०-95/2011/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -2794 दि०-12.08.11 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि०प०नि०-95/2011/.....1426...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-15/4/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव